

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : मौलाना आजाद एजुकेशनल सोसायटी,
2. संस्था का पूरा पता : 132, अन्सारी रोड, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर-प्रदेश होगा।
4. वित्तीय वर्ष : 01 अप्रैल से 31 मार्च तक
5. संस्था का उद्देश्य : स्मृति-पत्र के अनुसार होगा।
6. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग : वह भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, संस्था की सदस्यता ग्रहण कर सकता है।



1. संरक्षक सदस्य:- मुस्लिम समुदाय का वह व्यक्ति जो संस्था को 2500/- रु० दान देगा वह व्यक्ति संस्था का संरक्षक सदस्य कहलायेगा।
2. आजीवन सदस्य:- मुस्लिम समुदाय का वह व्यक्ति जो संस्था को 1000/- रु० दान देगा वह व्यक्ति संस्था का आजीवन सदस्य कहलायेगा।
3. साधारण सदस्य:- मुस्लिम समुदाय का वह व्यक्ति जो संस्था को 100/- रु० दान देगा वह व्यक्ति संस्था का साधारण सदस्य कहलायेगा।

7. सदस्यता समाप्ति

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल हो जाने पर।
3. न्यायालय में दण्डित होने पर।
4. दिवालिया घोषित होने पर।
5. संस्था के उद्देश्यों के विरुद्ध आचरण होने पर।
6. त्याग पत्र देने पर।
7. सदस्यता शुल्क न दिये जाने पर।
8. कार्यकारिणी समिति का कोई सदस्य लगातार तीन बैठकों में बिना किसी वैध कारण बिना प्रार्थना पत्र दिये अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
9. अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर।

8. संस्था के अंग

- (अ) साधारण सभा (ब) प्रबन्धकारिणी सभा
- (अ) साधारण सभा:-

1. गठन:- सभी सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

कार्य प्रविष्टि

R.A. Khan
Manager
Maulana Azad Educational Society
132 Ansari Road, Muzaffarnagar

सहायक सचिव
फार्म, सोसायटीज एवं चिट्ठे
उ०प्र० बहालपुर

Ab
11/12/2019



2. बैठके:- सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

3. सूचना अवधि:- सामान्य बैठक की सूचना 10 दिन पहले तथा विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पहले दी जायेगी विशेष परिस्थिति में 6 घंटे पूर्व दी जायेगी।

4. गणपूर्ति:- साधारण सभा की गणपूर्ति 2/3 होना आवश्यक होगी।

5. विशेष वार्षिक अधिवेशन:- विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रत्येक वर्ष मार्च में होगा।

6. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य:-

1. संस्था के साधारण सभा सर्वे सर्वा होगी। जिसके अन्तिम निर्णय माने जायेंगे। साधारण सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होगी।

2. संस्था के कार्यों के लिए प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना आय-व्यय का बजट पास करना।

3. नियमावली व उद्देश्यों में परिवर्तन करना।

4. कार्यकारिणी समिति का जो सदस्य बिना कारण बताये लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होगा तो प्रबन्धक की रिपोर्ट पर उसे कार्यकारिणी की सदस्यता से हटाना और उसके स्थान पर दूसरा पदाधिकारी एवं सदस्य नियुक्त करना।

5. कार्यकारिणी समिति या प्रबन्धक के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनना और उन पर अपना फैसला करना।

6. प्रत्येक साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति की सभी कार्यवाहक रजिस्टर में लिखी जायेगी मगर विशेष हालात में किसी भी प्रस्ताव या कार्यवाही को रजिस्टर में न लिखना हो तो यह सदस्यों के बहुमत पर निर्भर होगा।

7. प्रत्येक प्रकार के चन्दे, सदस्यता शुल्क, उप समितियों द्वारा प्राप्त धन, खरीदी हुई जायदाद या अन्य सामान जो संस्था को प्राप्त हुआ हों, सब राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करना होगा तथा 5000/- रु० तक नकद कार्यालय में रखा जा सकता है। वह सब समिति की सम्पत्ति मानी जायेगी।

8. किसी भी ऐसे पदाधिकारी या सदस्य या कर्मचारी को जिनको साधारण सभा किसी विशेष सेवा के कारण

Nawazul

Nawazul

R.A. Khan

S. R. Khan

हसन आरा

हमैरा

Vaqa

R. A. Khan

Manager

Maulana Azad Educational Society
137 Ansari Road, Muzaffarnagar

पत्र प्राप्ति

महानगर निरुद्ध
कमि. जिलाकारिणी एवं विद्वान
मुजफ्फरनगर

11/12/2018

मासिक एलाउंस या ईनाम देनी वो संस्था के कर्मचारी नौकर नहीं समझे जायेंगे।

9. अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एवं कार्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए सब कमेटियों, उपप्रबन्धकों समितियां विभागों को बनाना तथा उनके कार्यों की देखभाल करना, उनके किसी भी पदाधिकारी, सदस्य या प्रबन्धक को चुनना या उनके पदों से अलग हटाना।
10. संस्थाओं के कर्मचारियों को नियुक्त करना व बरखास्त करना, जो नियुक्तियों अध्यक्ष या प्रबन्धकों द्वारा उप समितियों द्वारा की गयी हों उनको मंजूरी देना।
11. उप-समितियों के लिए नयी नियमावली बनाना या उनमें बदलाव या संशोधन करना।
12. उप-समितियां साधारण सभा व कार्यकारिणी समिति के मातहत रहेगी और अध्यक्ष/प्रबन्धक के फैसलों की पाबन्दी रहेगी।
13. उप समितियों के सदस्य, प्रबन्धक, उपप्रबन्धक या पदाधिकारीगण साधारण सभा व कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में से होंगे।
14. समस्त उप समितियों व संस्थाएँ अपनी अपनी नियमावली स्वयं बनायेंगे और उनकी मंजूरी कार्यकारिणी समिति से प्राप्त करके उस पर अमल व कार्यवाही करेगी और अपना सम्बन्धित बजट भी कार्यकारिणी समिति को ही मंजूर करना होगा परन्तु सोसायटी कभी भी उस नियमावली में कोई भी परिवर्तन कर सकती है।
15. कोई भी सब कमिटी या संस्था चाहे वह किसी भी नाम से हो स्वयं कर्ताधर्ता व स्वतन्त्र नहीं होगी और न ही अपना अलग से रजिस्ट्रेशन करा सकेगी।
16. विभाग व सब कमिटीयों के फैसलों के खिलाफ अपील अध्यक्ष या प्रबन्धक को और कार्यकारिणी समिति के विरुद्ध अपील साधारण सभा को की जायेगी। साधारण सभा का फैसला अन्तिम माननीय होगा।
17. प्रबन्ध उप समितियों का कार्यकाल 2 वर्ष रहेगा परन्तु कार्यकारिणी कार्यकाल बढ़ा सकती है।
18. सोसायटी द्वारा संचालित एवं स्थापित संस्थाओं के कर्मचारी सोसायटी की प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा प्रबन्ध उप समितियों में पदेन सदस्य या अवैतनिक पदों पर भी

Manager
Wazir Khan
R. Khan
G. R. Khan
हुसन आरा
हुमरा
Vagga

R. Khan

Manager

Maulana Azad Society
Amnagar

सहायक रजिस्ट्रार
फार्म, सोसायटीज एवं चिट्स
ब्लॉक १० सहायनपुर
11/12/2018

3. उपाध्यक्ष
4. प्रबन्धक

Nawajil
हसन आरा

5. उपप्रबन्धक

6. कोषाध्यक्ष

Waqar Khan
R.A. Khan
G.R. Khan
होमरा

7. संस्था के नियमों व उपनियमों में संशोधन प्रक्रिया

8. संस्था का कोष

Waqar

9. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट)

अधीनस्थ सब कमेटियों के कार्यों की निगरानी करना। जब बैठक में वोटिंग के समय बराबर वोट होने पर संरक्षक से सलाह कर निर्णय लेना। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निष्पादन करना। संस्था का प्रबन्ध, संचालन करना। कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, अवनति, बर्खास्तगी करना। संस्था का कोष जमा करना तथा संस्था के खर्चे करने के लिए निकालना। कोषाध्यक्ष को आवश्यक निर्देश देने। कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा का एजेण्डा अध्यक्ष महोदय की राय से बनाना और अपने हस्ताक्षर से जारी करना। समिति के कर्मचारियों की सेवाओं और अधिकारों का चयन करना और उनके कार्यों की निगरानी करना, अवहेलना, कसूरों पर अध्यक्ष से मिलकर जवाब तलब करना और नियमावली के अनुसार उचित दण्ड देना अथवा उनकी सेवाओं को समाप्त करना।

प्रबन्धक की गैर हाजरी में उसके कार्यों का निष्पादन करना। उपसमितियों में प्रबन्धक/निर्देशक के पदों का ग्रहण करना।

प्रबन्धक के निर्देशों का पालन करना, आय व्यय का बजट तैयार करवाना, प्रबन्धक द्वारा पास किये गये बिलों का भुगतान करना, संस्था के सभी धन प्राप्त कर स्वीकृत बैंको में जमा करना तथा न्यूनतम 1000/- का कोष वक्त जरूरत के लिए अपने पास सुरक्षित रखना, प्रबन्धक तथा अन्य किसी पदाधिकारी यानि के तीन पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से खाता खोलना और उसको संचालित करना एवं किन्ही दो हस्ताक्षरों से पैसे का लेन देन करना जिसमें सचिव के हस्ताक्षर अनिवार्य है।

साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कोई भी संशोधन पारित माना जायेगा।

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया व निकाला जायेगा जिसका आहरण अध्यक्ष व प्रबन्धक तथा कोषाध्यक्ष में किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण आडिटर द्वारा प्रतिवर्ष किया जायेगा।

R.A. Khan

Manager

Mehar Azad Cultural Society
137, A. K. Road, Meerut, U.P.

सहायक रजिस्ट्रार
फार्म, सोसायटीज एंड चिट्स
बंगलौर महानगर
11/12/2018

10. संस्था के द्वारा तथा : संस्था के विरुद्ध कोई अदालती कार्यवाही होती है तो उसका संस्था के विरुद्ध संचालन प्रबन्धक या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जायेगा। परन्तु उसकी नियुक्ति किसी भी समय हटायी जा सकती है। संस्था के विरुद्ध समस्त कानूनी कार्यवाही का क्षेत्र मुजफ्फरनगर न्यायालय होगा।
11. संस्था का अभिलेख : कार्यवाही रजिस्टर एजेण्डा रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कैश बुक, लेजर, बाउचर्स, स्टॉक रजिस्टर, रसीदें बैंक पास बुक आदि अन्य आवश्यक अभिलेख।
12. संस्था का विघटन व : संस्था के समापन की स्थिति में ऋण आदि के निपटने के विघटित सम्पत्ति के पश्चात इसकी जो भी सम्पत्ति शेष रहेगी उसकी कार्यकारिणी के अनुसार किसी दूसरी संस्था को हस्तान्तरित कर दी जायेगी। जिसकी कार्यवाही सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 निस्तारण की कार्यवाही की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।
13. अन्य नियम : संस्था व संस्था द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान को उनके पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधीन किसी वित्त पोषित राष्ट्रीयकृत बैंक से, एजेन्सी से ऋण/लोन की आवश्यकता पड़ती है तो संस्था की सम्पत्ति को समक्ष न्यायालय की अनुमति उपरान्त बन्धक के (मोरगेज) कर ऋण/लोन प्राप्त करना तथा नियमानुसार उसको वापिस करना।

अन्य
Maulana
R.A. Khan
Wazir Khan
G.R. Khan
हुसन आरा
हमैरा
Vaag

1. उपरान्त समस्त कार्यों को चलाने के लिए राज्य एवं केन्द्रीय सरकार के विभागों, निगमों, बोर्डों, मंत्रालय, उर्दू बोर्डों, अरबी/फारसी बोर्डों, आयोग बोर्डों, कपार्ट आदि व व्यक्तिगत प्रतिष्ठान आदि से चन्दा, दान, अनुदान अथवा ऋण प्राप्त करना, अर्जित आय संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में लगाना या धर्मार्थ कार्यों में लगाना।
2. किसी भी भवन, चल-अचल सम्पत्तियों का अनुदान प्राप्त करना, क्रय करना व्यवस्थित स्थानान्तरण करना, पट्टे पर किराये पर देना व लेना, लेकिन यह समक्ष न्यायालय की अनुमति पर ही वैध होगा। यह संस्था भारतीय संविधान की धारा 30 (1) के अन्तर्गत स्थापित संस्था होगी तथा उसमें निर्दिष्ट अधिकारों के अन्तर्गत शिक्षा संस्थाएँ स्थापित एवं संचालित करेगी।
3. उर्दू मकतबों, मदरसों, स्कूलों के लिए चन्दा, दान, अनुदान, आदि प्राप्त करना तथा राज्य एवं केन्द्रीय

सरकार अथवा उनके विभागों निगम या बोर्डों से अनुदान व बैंकों से ऋण प्राप्त करना, प्राप्त अथवा ऋणों के धनार्थ कार्यों में व्यय करना, बचत फण्ड को प्रोत्साहन देना, शुल्कों के प्रसार-प्रचार के लिए कार्य करना।

प्रतिबन्धों की बाध्यता :

- I. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- II. विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- III. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- IV. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- V. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- VI. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- VII. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी।
- VIII. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

Mawaz

R.A. Khan
Wazir Khan!

G.R. Khan

हसन आरा
हमरा

Vaqa

R.A. Khan

अध्यक्ष प्रतिनिधि

सहायक रजिस्ट्रार
कर्म, सोसायटीज एवं चिट्ठा
महाराष्ट्र सरकार
11/12/2018

IX. संस्था बिना राज्य सरकार की अनुमति के अपनी नियमावली में संशोधन नहीं करेगी और हर प्रकार के अभिलेख से समय-समय पर राज्य सरकार को अवगत करायेगी।

(No amendment will be made in the after mentioned condition without the conscience of State Government)

सत्यप्रतिलिपि

R. Alham

Manager

Maulana Azad Educational Society
137 Ansari Road, Muzaffarnagar

Klawazyl
Wagel Khan!

R. Alham

G. R. / Q.

हसन आरा
हमेरा

Vagel

सत्य प्रतिलिपि

राज्य सरकार
मुख्य, सीमायोजन एवं शिक्षा
कक्षा १०, गान्धीनगर
11/12/2018